उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या– 64/2021

बालदेव महतो बनाम् महेन्द्र मुण्डा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
06-04-2022	यह वाद की कार्यवाही अपीलार्थी बालदेव महतो पिता स्व0 रामदयाल महतो निवास ग्राम कोतो पो0 पतरातु थाना पतरातु जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या 04/2017–18 महेन्द्र मुण्डा बनमा बालदेव महतो में दिनांक 31.08.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अन्दर धारा 215 सी0एन0टी0 एक्ट के तहत अपील दायर करने पर प्रारम्भ की गई। अपील आवेदन को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई एवं द्वितीय पक्ष को सुचना निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष के लगातार अनुपस्थिति के कारण अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा कोतो थाना–पतरातू के खाता नं०–07 सर्वे खतियान में बकास्त भूमि दर्ज है। ग्राम कोतो के खाता सं०–07 बालक मानकी कोटवार सं०–2/4 के नाम से बकास्त दर्ज है। मौजा कोतो के खाता सं०–07 मदन गोपाल प्रसाद पिता–नागेश्वर साव के नाम से दर्ज है एवं शांतिपूर्ण दखलकार है। प्रश्नगत भूमि पतरातू अंचल के पेज सं०–55 भौल्युम सं०–1 में दर्ज है एवं लगान रसीद नियमित से अदा है। मदन गोपाल प्रसाद ने खाता सं०–07 प्लॉट सं०–412 रकबा–0.45 एकड़ एवं अन्य भूमि खाता सं०–30, 37 एवं 41 कुल रकबा–7.01 एकड़ भूमि निबंधित केवाला सं०–486 दिनांक–29.01.1966 के द्वारा महिपाल सिंह पिता–भुलकी सिंह को विक्रय कर दिये। क्रय के पश्चात महिपाल सिंह अपने नाम से अंचल आधिकारी, पतरातू के दाखिल खारिज ही	

वाद सं०–14/1884–85 के द्वारा दाखिल खारिज किया। महिपाल सिंह ने मौजा कोतो के खाता सं०–07 प्लॉट सं०–412 रकबा–0.45 एकड़ मध्ये रकबा–0.15 एकड़ भूमि निबंधित केवाला सं०–2308 दिनांक–29.07.2013 के द्वारा बलदेव महतो अपीलार्थी को विक्रय कर दिये। क्रय के पश्चात क्रेता बिना किसी आपत्ति के शांतिपूर्ण दखलकार हुए। क्रय के पश्चात बलदेव महतो (विपक्षी) नं अंचल अधिकारी, पतरातू के दाखिल खारिज वाद सं०–470/2013–14 से अपने नाम से दाखिल खारिज किया। अंचल अधिकारी, पतरातू के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि से 35 वर्षो से अधिक अवधि से बेदखल है। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या 04/2017–18 महेन्द्र मुण्डा बनमा बालदेव महतो में दिनांक 31.08.2021 को पारित आदेश का खारिज करने की कृपा की जाय।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा प्रथम पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखा जाय।

अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, पतरातू के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा कोतो थाना–पतरातू के खाता नं०–07 प्लॉट नं०–412 रकबा–0.45 एकड़ मध्ये रकबा–0.15 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। प्रथम का खतियानी रैयत से संबंध परनाना खेवटदार बालक मानकी है। बालक मानकी खेवट सं०–2/4 खेवटदार चालु पंजी II के पेज सं०–46/1 में ग्राम कोतो के खाता सं०–7/2 बकास्त प्लॉट सं०–5, 54, 56, 268, 302, 303, 391, 405, 410, 77, 144, 169, 181, 185, 195, 266, 267 रकबा बिक्री के पश्चात 6.86 एकड़ भूमि है। रैयत सुरजन मुण्डा पिता–खेरिया मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम है, रसीद 14–15 क निर्गत है। आवेदक के दादा सुरजन मुण्डा के नाम पंजी II किस आधार पर कायम है, कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। अंचल अधिकारी, पतरातू के दाखिल खारिज केश सं०–468/13–14 के आदेशानुसार जमाबंदी पंजी II के पेज सं०–83/III में कायम है। रैयत बलदेव महतो पिता–स्व० राम दयाल महतो ग्राम कोतो के नाम से ग्राम कोतो के खाता सं०–07 बकास्त प्लॉट 412

रकबा–0.15 एकड़ भूमि है। रसीद 13–14 से 16–17 तक निर्गत है। खरीदी केवाला से केवाला सं०–2309 दिनांक–29.07.2013 का इसका विक्रय महीपाल सिंह पिता–स्व० बुलाकी सिंह हाल मोकाम बलकुदरा थाना–पतरातू जिला–रामगढ़ का ही इनका जमाबंदी ग्राम–कोतो के पेज सं०–163/I में अनेक खाता सं० साथ खाता सं०–07 रकबा–7.01 एकड़ भूमि का कायम है। इन्होने भूमि ग्राम पतरातू के मदन गोपाल प्रसाद पिता–नागेश्वर साव से दिनांक–29.01.1966 को केवाला से खरीदी है। विक्रता को कब्जा भूमि पर 31 वर्षो से है। केवाला द्वारा बालदेव महतो का कब्जा लगभग 4 वर्षो से है। इस भूमि पर घर बना है। आवेदक दिनांक–29.01.1966, 31 वर्षो से एवं 27.07.13, 35 वर्षो से बेदखल है। प्रथम पक्ष महेन्द्र मुण्डा के दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी II के पेज सं०–46/I जमाबंदी कैसे कायम हुआ है, कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। प्लॉट 412 इनके दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी II नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने तथा अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मौजा कोतो थाना–पतरातू के खाता सं०–07 प्लॉट सं०–412 रकबा–0.45 एकड़ मध्ये रकबा–0.45 सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है। बालक मानकी खेवट सं०–2/4 खेवटदार चालु पंजी II के पेज सं०–46/1 में ग्राम कोतो के खाता सं०–7/2 बकास्त प्लॉट सं०–5, 54, 56, 268, 302, 303, 391, 405, 410, 77, 144, 169, 181, 185, 195, 266, 267, रकबा बिक्री के पश्चात 6.86 एकड़ भूमि है। रैयत सुरजन मुण्डा पिता–खेरिया मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम है, रसीद 14–15 तक निर्गत है। आवेदक के दादा सुरजन मुण्डा के नाम पंजी II किस आधार पर कायम है, कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। अंचल अधिकारी, पतरातू के दाखिल खारिज केश सं०–468/13–14 के आदेशानुसार जमाबंदी पंजी II के पेज सं०–83/III में कायम है। रैयत बलदेव महतो पिता–स्व० राम दयाल महतो ग्राम कोतो के नाम से ग्राम कोतो के खाता सं०–07 बकास्त प्लॉट–412 रकबा–0.15 एकड़ भूमि है। रसीद 13–14 से 13–17 तक निर्गत है। खरीदी केवाला से केवाला सं०–2309 दिनांक–29.07.2013 का इसका विक्रेता महीपाल सिंह पिता–स्व० बुलाकी सिह हाल

मोकाम बलकुदरा थाना पतरातू जिला–रामगढ़ का ही इनका जमाबंदी ग्राम कोतो के पेज सं०–163/I में अनेक खाता सं० साथ खाता सं०–07 रकबा–7.01 एकड़ भूमि का कायम है। इन्होंने भूमि ग्राम पतरातू के मदन गोपाल प्रसाद पिता नागेश्वर साव से दिनांक–29.01.1966 को केवाला से खरीदी है। विक्रेता कब्जा भूमि पर 31 वर्षो से है। केवाला द्वारा बालदेव महतो का कब्जा लगभग 4 वर्षो से है। इस भूमि पर घर बना है। आवेदक दिनांक–29.01.1966, 31 वर्षो से एवं 27.07.13, 35 वर्षो से बेदखल है। प्रथम पक्ष महेन्द्र मुण्डा के दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी II के पेज सं०–46/I जमाबंदी कैसे कायम हुआ है, कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। प्लॉट–412 इनके दादा सुरजन मुण्डा के नाम से पंजी II नहीं है। चूँकि भूमि आदिवासी खाते की है एवं आदिवासी भूमि 1966 में गैर आदिवासी को हस्तांतरण हुआ है। अर्थात द्वितीय पक्ष गलत तरीक से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा –46–4–(ए) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन अंचल अधिकारी, पतरातु के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नही है कि भू–वापसी की कार्रवाई की जाय अथवा नही। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दिनांक 31.08.2021 को भू–वापसी वाद संख्या 04/2017–18 महेन्द्र मुण्डा बनाम बालदेव महतो में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा –46–4–(ए) के प्रावधानों के तहत् पारित आदेश को खारिज किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, पतरातु से भू–वापसी का प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ प्राप्त करते हुए पुनः सुनवाई करते हुए आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगें। निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2022.05.20 16:17:59 +05:30
Location: 192.168.0.4

06.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

06.04.2022
उपायुक्त,
रामगढ़।